...ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनीशियल्स **भगवानदास बगैरा बनाम किरोडी बगैरा** **प्रकरण संख्या 58/20**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...2.01.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील अभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण प्रतिवादीगण की तलबी हेतु मुनासिब कार्यवाही अर्थात सम्मन तलवाना प्रस्तुत किये जाने हेतु काफी लम्बे अर्से से लम्बित है । इस हेतु न्यायालय हाजा द्वारा वकील वादी को कई बार अवसर दिया जा चुका है। इतने अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वकील वादी की ओर से कोई कार्यवाही न किया जाना उनकी ओर से प्रकरण को आगे न चलाये जाने की दिलचस्पी को जाहिर करता है। जबकि प्रचलित नियमों के अन्तर्गत वाद को सिद्ध करने/नियमानुसार न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति किये जाने का पूर्णरूपेण दायित्व वादी का ही रहता है। ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 9 रूल्स 5 के प्रावधानो के अन्तर्गत प्रकरण नॉट कम्प्लायन्स/अदम तक्मील में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। Rd उपखण्ड अधिकारी बसेड़ी (धौलपुर) राज.	